

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम [आर.ए.एस.]
प्रकरण संख्या: 287 / 2025(जी.सी.एम.एस. 2025 / 407)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. ओमप्रकाश इन्दलिया पुत्र धर्मराज इन्दलिया आयु 63 वर्ष जाति मेघवाल निवासी गांव 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।		1. बृजमोहन पुत्र धर्मराज जाति मेघवाल निवासी 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर- मृतक
2. कृष्ण कुमार पुत्र धर्मराज आयु 62 वर्ष जाति मेघवाल निवासी गांव 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।		1/1 सुरज कंवर पत्नी बृजमोहन जाति मेघवाल निवासी 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. देव कुमार पुत्र धर्मराज आयु 59 वर्ष जाति मेघवाल निवासी मकान नं0 74-ए, सरस्वती नगर, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।		1/2 सुमन पुत्री बृजमोहन पत्नी दीपक कुमार जाति मेघवाल निवासी मकान नं0 04, बरनाला रोड़, न्यू हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, सिरसा तहसील व जिला सिरसा।
4. कौशल्या देवी पत्नी हेत राम जोहम पुत्री धर्मराज आयु 55 वर्ष जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं0 18, मिनी मार्किट, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।		1/3 आनन्द इन्दलिया पुत्र बृजमोहन जाति मेघवाल निवासी 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. शंकर लाल इन्दलिया पुत्र धर्मराज आयु 66 वर्ष जाति मेघवाल निवासी हीरा नगर, डीसीएम अजमेर रोड़ जयपुर।		1/4 पवन कुमार पुत्र बृजमोहन जाति मेघवाल निवासी 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
		2. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955
तारीख रजू 25.08.2025

उपस्थित: 1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण

2. श्री ईकबाल सिंह दिल्ली अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/4

दिनांक: 31.10.2025

—निर्णय—

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 47 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 70/65 के मुरब्बा नम्बर 11, 34, 69/10 में 2.2210 हैक्टेयर नहरी मय खाला भूमि व खाता संख्या 40/39 के मुरब्बा नम्बर 13, 34 की 0.7340 हैक्टेयर भूमि तथा चक 2 एफ डी एम, पटवार मण्डल सादकवाला, भू0 अभि0 नि0 क्षेत्र निरवाना की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 58/52 के मुरब्बा नम्बर 32 में 3.7200 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 आपस में सगे भाई-बहिन है। प्रतिवादी संख्या 1 का दिनांक 19.10.2024 को देहांत हो चुका है, जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 को उनके विधिक वारिसान के रूप से संयोजित किया है, जो कि उनके कानूनी वारिसान है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पति है, जो कि उनको विरास्तन प्राप्तशुदा है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान के द्वारा आपसी पारिवारिक सहमति से उक्त संयुक्त खाता की भूमि का बंटवारा कर रखा है। बंटवारानामा अनुसार चक 47 एफ के खाता संख्या 70/65 के मुरब्बा नम्बर 34 में किला नं0 7/2 के 0.184है0, 8 के 0.253है0, 22/1 के 0.126है0, किला नं0 25/2 के 0.127 है0 रकबा 0.690है0 व मुरब्बा नं0 69/10 के 0.013है0 रकबा 0.703 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 40/39 के मुरब्बा नं0 34 के किला नं0 23/1 के 0.101 है0, किला नं0 23/2 के 0.127 है0, 24/1 के 0.063 है0, 24/2 के 0.164 है0 रकबा 0.455 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 1.158 हैक्टेयर नहरी मय खाला भूमि कृष्ण कुमार पुत्र धर्मराज प्राप्त हुई है। बंटवारानामा अनुसार बृजमोहन पुत्र धर्मराज (मृतक) के वारिसान को चक 47 एफ के खाता संख्या 70/65 के मुरब्बा नं0 11 के किला नं0 7 के 0.253 है0, 8 के 0.253 है0, 9 के 0.253 है0, 12 के 0.253है0, 13 के 0.253है0, 14 के 0.253है0 कुल 1.518 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। बंटवारनामा अनुसार देव कुमार पुत्र धर्मराज को चक 2 एफ डी एम के खाता संख्या 58/52 के पत्थर संख्या 83/332 के मुरब्बा नं0 32 के किला नं0 1 के 0.253 है0, 2 के 0.126 है0, 9 के 0.126 है0, 10 के 0.253 है0, 11 के 0.253 है0, 12 के 0.126 है0, 19 के 0.126 है0, 20 के 0.253 है0, 21/1 के 0.228 है0, 22/1 के 0.114 है0, रकबा 1.858 है0 भूमि प्राप्त हुई है। ओमप्रकाश इन्दलिया पुत्र धर्मराज इन्दलिया को बंटवारानामा अनुसार चक 2 एफ डी एम के खाता संख्या 58/52 के पत्थर संख्या

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी

3/332 के मुरब्बा नं० 32 के किला नं० 2 के 0.127है०, 3 के 0.253है०, 8 के 0.253है०, 9 के 0.127है०, 12 के 0.127है०, 13 के 0.253है०, 16 के 0.253है०, 19 के 0.127है०, 22/1 के 0.114है०, 23/1 के 0.228है० रकबा 1.862 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की बहिन कौशल्या देवी के द्वारा अपने नाम से दर्ज चक 47 एफ में 1.370 हैक्टेयर भूमि व चक 2 एफ डी एम में 0.620 है भूमि भाई मृतक बृजमोहन व कृष्ण कुमार पक्ष में बहिब पारिवारिक सहमति से सुपुर्द की गई है। कौशल्या देवी उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहती है। वादीगण व प्रतिवादीगण बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि में फसल काशत कर रहे हैं, लेकिन उक्त भूमि कब्जा काशत के अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकित नहीं है। कब्जा का बंटवारा के अनुसार विभाजन नहीं होने के कारण वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वादीगण अपने हिस्सा की कृषि भूमि को हिस्सा, टेका पर काशत करने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण बंटवारा के अनुसार राजस्व अभिलेख में भूमि का अंकन करवाना चाहते हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान द्वारा भूमि का बंटवारा किया हुआ है, लेकिन एक साथ पक्षकारान एकत्रित होने में असमर्थ है। इस कारण उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 47 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ. नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 70/65 के मुरब्बा नम्बर 11, 34, 69/10 में 2.2210 हैक्टेयर नहरी मय खाला भूमि व खाता संख्या 40/39 के मुरब्बा नम्बर 13, 34 की 0.7340 हैक्टेयर भूमि तथा चक 2 एफ डी एम, पटवार हल्का सादकवाला, भू. अ. नि. क्षेत्र निरवाना की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 58/52 के मुरब्बा नम्बर 32 में 3.7200 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण को घर बंटवारानामा में प्राप्त भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर, अलग से लगान व खाता कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/4 की ओर से अधिवक्ता ईकबाल सिंह ढिल्लों उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/4 की ओर से जवाबदावा मय प्रतिवादा पेश किया। सामिल मिसल किया गया। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा काउन्टर क्लेम पर अनापत्ति जाहिर की। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बंद किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/4 को वादीगण का वादपत्र स्वीकार है तथा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/4 का काउन्टर क्लेम स्वीकार है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/4 का काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने की ईशतदुआ की है। वादीगण का वादपत्र, जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम उभयपक्ष की सहमति मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते हैं।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काशतकारी अधिनियम-1955 व प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/4 का काउन्टर क्लेम उभयपक्ष की सहमति मुताबिक भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 47 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 70/65 के मुरब्बा नम्बर 11, 34, 69/10 की कुल 2.2210 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 40/39 के मुरब्बा नम्बर 13, 34 की कुल 0.7340 हैक्टेयर भूमि तथा चक 2 एफ डी एम, पटवार हल्का सादकवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र निरवाना, तहसील सूरतगढ की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 58/52 के मुरब्बा नम्बर 32 की कुल 3.7200 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण व प्रतिवादीगण को हिस्से मुताबिक खातेदार घोषित किया जाकर बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

सहायक क्लर्क एवं पढ़ने
उपस्थंड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. ओमप्रकाश इन्दलिया पुत्र धर्मराज इन्दलिया आयु 63 वर्ष जाति मेघवाल निवासी गांव 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. बृजमोहन पुत्र धर्मराज जाति मेघवाल निवासी 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर- मृतक	1. बृजमोहन पुत्र धर्मराज जाति मेघवाल निवासी 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र धर्मराज आयु 62 वर्ष जाति मेघवाल निवासी गांव 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।	1/1 सुरज कंवर पत्नी बृजमोहन जाति मेघवाल निवासी 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।	1/2 सुमन पुत्री बृजमोहन पत्नी दीपक कुमार जाति मेघवाल निवासी मकान नं0 04, बरनाला रोड, न्यू हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, सिरसा तहसील व जिला सिरसा।
3. देव कुमार पुत्र धर्मराज आयु 59 वर्ष जाति मेघवाल निवासी मकान नं0 74-ए, सरस्वती नगर, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।	1/3 आनन्द इन्दलिया पुत्र बृजमोहन जाति मेघवाल निवासी 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।	1/4 पवन कुमार पुत्र बृजमोहन जाति मेघवाल निवासी 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. कौशल्या देवी पत्नी हेत राम जोहम पुत्री धर्मराज आयु 55 वर्ष जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं0 18, मिनी मार्केट, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।	2. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।	
5. शंकर लाल इन्दलिया पुत्र धर्मराज आयु 66 वर्ष जाति मेघवाल निवासी हीरा नगर, डीसीएम अजमेर रोड जयपुर।		

वादपत्र धारा अन्तर्गत 53, 88, 91 आरटीए

मुकदमा नम्बर 287/2025

निर्णय दिनांक :-31.10.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू व प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री ईकबाल सिंह ढिल्लों उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 व प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/4 का काउन्टर क्लेम उभयपक्ष की सहमति मुताबिक भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 47 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 70/65 के मुरब्बा नम्बर 11, 34, 69/10 की कुल 2.2210 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 40/39 के मुरब्बा नम्बर 13, 34 की कुल 0.7340 हैक्टेयर भूमि तथा चक 2 एफ डी एम, पटवार हल्का सादकवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र निरवाना, तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 58/52 के मुरब्बा नम्बर 32 की कुल 3.7200 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण व प्रतिवादीगण को हिस्से मुताबिक खातेदार घोषित किया जाकर बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्लियत सकूनत	तहसील व राजस्व ग्राम	मु.न.	किला नम्बर	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	ओमप्रकाश इन्दलिया पुत्र धर्मराज इन्दलिया जाति मेघवाल निवासी गांव 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। (1.862 हैक्टेयर)	तहसील सूरतगढ़, राजस्व ग्राम 2 एफ डी एम	32	2 3, 8 9 12 13, 16 19 22/1 23/1	0.127 हैक्टेयर 0.506 हैक्टेयर 0.127 हैक्टेयर 0.127 हैक्टेयर 0.506 हैक्टेयर 0.127 हैक्टेयर 0.114 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर	अ.क. कमाण्ड कमाण्ड कमाण्ड कमाण्ड कमाण्ड कमाण्ड कमाण्ड	0.26 5.06 1.27 1.27 5.06 1.27 1.14 2.28
2	कृष्ण कुमार पुत्र धर्मराज जाति मेघवाल निवासी गांव 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। (1.158 हैक्टेयर)	तहसील श्रीकरणपुर, राजस्व ग्राम 47	34	7/2 8 22/1 23/1	0.184 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर 0.101 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी	1.64 2.25 1.12 0.90

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

देव कुमार पुत्र धर्मराज जाति मेघवाल निवासी मकान नं0 74-ए, सरस्वती नगर, श्रीगंगानगर (तहसील सूरतगढ, 2 एफ डी एम में 1.858 हैक्टेयर) (तहसील श्रीकरणपुर, 47 एफ में 0.279 हैक्टेयर)	एफ	69/10	23/2 24/1 24/2 25/2	0.127 हैक्टेयर 0.063 हैक्टेयर 0.164 हैक्टेयर 0.127 हैक्टेयर 0.013 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी गै.मु.खा.	1.13 0.56 1.46 1.13 0.00
	32	1 2 9 10, 11 12 19 20 21/1 22/1	0.253 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर 0.506 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर	अ.क. कमाण्ड कमाण्ड कमाण्ड कमाण्ड कमाण्ड कमाण्ड कमाण्ड	0.51 1.26 1.26 5.06 1.26 1.26 2.53 2.28	
	13	20 21 22	0.114 हैक्टेयर 0.013 हैक्टेयर 0.215 हैक्टेयर 0.051 हैक्टेयर	कमाण्ड बारानी बारानी बारानी	1.14 0.06 0.94 0.22	
	11	7, 8, 9 12, 13, 14	0.759 हैक्टेयर 0.759 हैक्टेयर	बारानी नहरी	3.30 6.75	

शेष खाते एवं रहन बदस्तूर रहेंगे। पारिवारिक सहमति बंटवारानामा दिनांक 25.08.2025 निर्णय का एक भाग माना जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आज दिनांक 03.11.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

[श्याम (आर.ए.एस.)]
 सहायक कलेक्टर एवं पंचायत उपखण्ड अधिकारी
 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
 श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	04	00	योग	04	00

[श्याम (आर.ए.एस.)]
 सहायक कलेक्टर एवं पंचायत उपखण्ड अधिकारी
 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
 श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

दिनांक: 03.11.2025

क्रमांक: रीडर/2025/816

लिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर व तहसीलदार सूरतगढ को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की अनुसूचित अनुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



[श्याम (आर.ए.एस.)]
 सहायक कलेक्टर एवं पंचायत उपखण्ड अधिकारी
 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
 श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)